

**प्रपत्र-12**  
**(देखें नियम-11 उप नियम-(1))**  
**प्रारूप खानापुरी अधिकार-अभिलेख का प्रपत्र**

राजस्व ग्राम.....थाना संख्या.....पुलिस थाना.....  
अंचल.....जिला.....राजस्व थाना संख्या.....के सभी भू-स्वामियों /धारियो अथवा  
में हित रखने वाले व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि राजस्व ग्राम  
से सम्बन्धित अधिकार-अभिलेख प्रारूप को एतत् ह्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

..... तक प्रकाशित होते हैं। अपने अनुसार ही कि आप अपनी पूर्ण अधिकारियता के लिए अपनी उम्मीद जिसमें आपका कोई अधिकारियतपूर्ति नहीं है, के संबंध में अधिकार अनुभविते हुए अधिकारियतपूर्ति के लिए अपनी प्राप्ति (दिनांक).....

प्रारूप का परिष्कालन किया जाय।

शिविर के प्रभारी सहायक बंदोबस्ता पदाधिकारी  
का हस्ताक्षर एवं मुहर